



INDIA NON JUDICIAL



IN-UP77127326872026V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No.
Certificate Issued Date
Account Reference
Unique Doc. Reference
Purchased by
Description of Document
Property Description
Consideration Price (Rs.)
First Party
Second Party
Stamp Duty Paid By
Stamp Duty Amount(Rs.)

- : IN-UP77127326872026V
: 20-Nov-2023 04:33 PM
: NEWIMPACC (SV)/ up14350604/ RAEBARELI SADAR/ UP-RAB
: SUBIN-UPUP1435060449913976214201V
: MOHAN LAL SO BUDHAI
: Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
: Not Applicable
:
: MOHAN LAL SO BUDHAI
: Not Applicable
: MOHAN LAL SO BUDHAI
: 100
(One Hundred only)





Please write or type below this line

घोषणा- पत्र

मैं...। हम **स्मोर्ट लाल** सत्यनिष्ठा से आश्वासन और वचन देंता हूँ। देते हैं कि :- [क] मैं। हम एतदद्वारा घोषणा करता हूँ। करते हैं कि मैं हमअनुज्ञप्तिधारी से आपूर्ति के प्रारम्भ के दिनांक से 2वर्षों के न्यून अवधि के लिए उपरोक्त उल्लिखित उद्देश्यों के लिए ऊर्जा का भुगतान करने के लिए इच्छा और सहमति रखता हूँ। रखते हैं। [ख] मैं। हम आयोंग द्वारा अनुमोदित अनुज्ञप्तिधारी की वितरण संहिता [कोड] को उसमें उल्लिखित किंही उपान्तरणों सहित और भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के उपबन्धों का इसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली का और विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 के उपबन्धों से जहाँ तक कि यह प्रयोज्य हैं बाध्य होने को सहमत हूँ। **स्मोर्ट लाल**

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत् क्रिक्केट खण्ड द्वितीय
रायबरेली

(ग) में / हम भी घोषणा करते हैं कि उपरोक्त उपबंधों का पालन करने में मेरे / हमारे विफल रहने की दशा में अनुज्ञापित्यारी के लिए वह विधि समझ छोड़ा कि वह उपरोक्त कथितवितरणसहित के निवन्धनों के अनुसार आपूर्ति को रोक दें।

(घ) में / हम आप्य यह घोषणा करता हूँ / करते हैं कि अनुज्ञापित्यारी को आपूर्ति में किसी विधि / कभी के ऐसे कारणों के लिए जो उसके नियन्त्रण से परे है उत्तरादायी नहीं ठहराया जायेगा। इ) में / हम यह समझता हूँ / समझते हैं कि यह घोषणा पर दो वर्ष पश्चात इस संहितामें वर्णितप्रक्रिया के अनुसार किसी भी पक्षकार द्वारा नोटिस देकर रद्द की जा सकती है। ज) जमा योजना सामान्य योजना लघु स्थाई अथवा अन्य किसी योजना के अन्तर्गत संयोजन प्राप्त करने पर नया परिवर्तक स्थापित किया जाता है अथवा पूर्व से ही स्थापित है लेकिन अधिभासित नहीं है ऐसी दशा में उसी परिवर्तक से ७०प्र० पावर कार्पोरेशनलिंग द्वारा किसी दूसरे उपभोक्ता को संयोजन प्रदान किया जाता है तो मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्तिनहीं होगी।

(छ) उपरोक्त कारणोंवश यदि संयोजन का स्थाई विद्युत विच्छेदन मेरे द्वारा कराया जाता है तो संयोजन में प्रृथक होने वाली विगम की सामग्री जिसका पैसा ७०प्र०पाठकार्पोरेशनलिंग के खाते में पूर्व से ही जमा है सामग्री के बूल्य का किसी भी दशा में मेरे द्वारा प्राप्त करने का दावा नहीं किया जाएगा तभी उस सामग्री पर हमारा कोई अधिकार नहीं होगा।

(ज) उपलोक्ता को पूर्व में स्थापित परिवर्तक से एलटीप्लाइन पर निजी नलकूप संयोजन प्रदान किया जाता है लेकिन उपभोक्ता उस परिवर्तक से संयोजन नहीं लेना चाहता है ऐसीपरिवर्तकी में उपभोक्ता को नये परिवर्तक हेतु धूट के अतिरिक्त निगम द्वारा निर्धारित परिवर्तक की राशि उपभोक्ता को जमा करना होगा जिसके लिए उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(झ) मैं / हम घोषणा करता / करती हूँ कि विद्युत संयोजन प्रदान किये जाने के उपरान्त यदि अगले माह तक विद्युत विल प्राप्त नहीं होता है तो हमारी / स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि अगले माह / आगामी माहों में स्थाई कार्यालय विद्युत वितरण खण्ड रायबरेली से विल प्राप्त करेंगा / करता रहेंगा तथा उसका मूलगता समझ लेंगा / करता रहेंगा।

(अ) मैं / हम आप्य इस बात पर सहमत हैं कि मेरे / हमारे द्वारा दिये गये घोषणा पर को अनुज्ञापित्यारी के साथ किये गये उपरोक्त आशय के किसी अनुबन्ध की तरह समझा जायेगा।

(ट) मैं / हम घोषणा करता हूँ / करते हैं कि आवेदन पर में दिये गये सभी विवरण मेरे / हमारे ज्ञान में सत्य हैं। यदि कोई सूचना किसी बाब की दिनोंके पर गलत पाई जाती है तो अनुज्ञापित्यारी को आपूर्ति रोक देने / काट देने जैसी स्थिति होने का अधिकार होगा।

(घ) मेरे / हमारे द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपकरण से कोई अनिधिकृत परिवर्धन / परिवर्तन या चोरी या दुर्विनियोग या भीटर को छेड़ते हुए या उससे कोई छेड़छाड़ न हो। दूसरे सब्दों में मेरे / हमारे द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुज्ञापित्यारी द्वारा मुझे / हमको उपलब्ध कराई रखी ऊर्जा को विद्युतसम्मत और प्राधिकरणपूर्ण उपयोग किया जाये। उस दशा में जबकि अनुज्ञापित्यारी के पास यह समझने या आशाका करने का युक्तिभूक्त अंदार है कि उपकरण भी अप्राधिकृत परिवर्धन / परिवर्तन चाहे वह कौसा भी क्यों न हो किया गया है, या दुर्विनियोग या ऊर्जा का उपयोग या भीटर से छेड़ते हुये विद्युत का प्रयोग किया जा रहा है या उससे छेड़छाड़ की गयी है तो अनुज्ञापित्यारी का कोई पराभिहित प्राधिकारी इस बात छे लिए स्वतंत्र होता कि वह उपकरण भीटर और वायरिंग आदि के सामान्य निरीक्षण और परीक्षण के लिए परिसर में प्रवेश कर सके।

(इ) मैं बत्त देता हूँ कि जब कभी वह परिसर जिसके लिए विद्युत क्वेशन लिया जा रहा है तालीकरना है तो अनुज्ञापित्यारी को विद्युत वितरण संहेता में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सूचित करेंगा। दिनांक :

स्थान
गवाहों के द्वारा

आवेदक के हस्ताक्षर
मोल्ले इलान
विद्युत वितरण बोर्ड द्वितीय
रायबरेली

① अबीतुल्लाह ८/ राजवहारु

२० पूरे प्राप्ति का पुरव

पीस्ट हस्ताक्षरी

नमलेला कुमार

गोविंदपुरा कालोद्वापा

वाला उस्मा पुरा

रामबेश

रामबेश

रामबेश